इंटक सम्बद्ध सं.: IV/11826

*श्रमिक एकता महान शक्ति*
*पूरा काम पूरा दाम : इंटक*

पंजीयन सं.: 6002

# राष्टीय सोया इंडस्ट्रीज कर्मचारी संघ
# RASHTRIYA SOYA INDUSTRIES KARMACHARI SANGH

पंजीकृत कार्यालय : 357 / 17, नंदानगर, इन्दौर – 452 011 (म.प्र.)
मो. +91 94254 78313. email: yadavayodhyaprasad@gmail.com

पत्रांक : INTUC/RSIKS/

दिनांक : 16 मई, 2025

प्रेस विज्ञप्ति:–

## श्री प्रभात दुबे, अपर श्रमायुक्त को हाईकोर्ट द्वारा सहायक श्रमायुक्त बनाने के दिये आदेश

इन्दौर। म.प्र. हाईकोर्ट खंडपीठ, ग्वालियर ने श्रम विभाग के अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात कुमार दुबे को दो पद नीचे रिवर्ट करने का आदेश दिया है। उन्हें अब सहायक श्रम आयुक्त बनाया जायेगा। न्यायालय ने यह, भी कहा कि पदोन्नति नियमों (Promotion Rules) का उल्लंघन किया गया है। इस उल्लंघन के लिये प्रभात दुबे से 20 हजार रुपये कास्ट तथा प्रमोशन से मिले लाभ का 6 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलने को कहा गया है।

यह निर्णय म.प्र.हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने याचिका WP-9453/2012 का आदेश दिनांक 15/05/2025 को यह निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति श्री जी.एस. अहलुवालिया ने कहा कि श्रम विभाग ने अपनी ही पदोन्नति नियमों की अनदेखी की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। श्री प्रभात दुबे 01 जनवरी 2004 को सहायक श्रमायुक्त से उपश्रमायुक्त बनाया गया था।

इस निर्णय को सहायक श्रमायुक्त श्री रोशनसिंह यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्री यादव , श्री दुबे से वरिष्ठ थे, उनका कहना था कि श्री दुबे ने पदोन्नति के लिये जरूरी पाँच साल की सेवा पूरी नहीं की थी, उन्हें एक साल की छूट दी गई थी, जो नियमानुसार केवल केबिनेट या राज्यपाल ही दे सकते है। कोर्ट ने 2004 की पदोन्नति को रद्द कर श्री यादव के लिए रिव्यू डी.पी.सी. के आदेश दिये थे, डी.पी.सी. तो हुई, लेकिन फिर से श्री दुबे को प्रमोशन दे दिया गया। इसके बाद श्री यादव ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर म.प्र. हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि, यह प्रमोशन पूर्णतः अवैध है। यह कहते हुए न्यायालय ने श्री रोशनसिंह यादव के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया है।

भवदीय

(ए.पी. यादव)
अध्यक्ष
मो.94254–78313

श्रीमान सम्पादक महोदय
दैनिक ......................
इन्दौर